

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 876/2012

संस्थापित दिनांक 05/11/2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. तोफीक उर्फ टिकू पुत्र शहजाद खान
उम्र 24 वर्ष निवासी छोटी मस्जिद के
पास मालनपुर जिला भिण्ड म.प्र.
2. विक्की उर्फ शाहिद खां पुत्र इस्माईल खां
उम्र 28 वर्ष निवासी बड़ी मस्जिद के
पास मालनपुर जिला भिण्ड म.प्र.
- {फरार} 3. वीरेन्द्र उर्फ वीरा किरार पुत्र नवल किशोर
किरार उम्र 21 वर्ष निवासी पिपरुआ थाना
चिन्नौर ग्वालियर हाल रोंहणी फायवर मार्वल
के पास मालनपुर जिला भिण्ड म.प्र.

..... अभियुक्तगण

(अपराध अंतर्गत धारा — 454 भा0द0सं0)
(राज्य द्वारा एडीपीओ — श्री प्रवीण सिकरवार।)
(आरोपी तोफीक एवं विक्की द्वारा अधिवक्ता — श्री के.पी.राठौर।)

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 10/03/17 को घोषित किया)

आरोपीगण पर दिनांक 24/08/12 को दिन के 11 बजे सुपरसेक फैंक्ट्री मालनपुर में चोरी करने के आशय से प्रवेश कर गृह भेदन कारित करने हेतु भा.दं.सं. की धारा 454 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि फरियादी हाकिम सिंह सुपरसेक फैंक्ट्री में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत था। दिनांक 24/08/12 को उसे सुपरसेक फैंक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड साबू खान ने मोबाइल पर बताया था कि सुबह 11 बजे छोटू खान, तोफीक उर्फ टिकू, विक्की खां, रामबोहरे, वीरा किरार एवं भेड़ा उर्फ कनुआ फैंक्ट्री की दीवाल कूदकर फैंक्ट्री के अंदर चोरी करने की

नियत से घुस गये थे। उन्हें साबू खान ने देखा था तो उक्त सभी लोग दीवाल कूदकर भाग गये थे। फिर उसने अपने फ़ैक्ट्री मालिक से चर्चा की थी। घटना फ़ैक्ट्री गार्ड महावीर सिंह तोमर ने भी देखी थी। तत्पश्चात् फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मालनपुर में की गयी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना मालनपुर में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्र. 120/12 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। यहां यह उल्लेखनीय है कि आरोपी छोटा खान, रामबोहरे एवं भेड़ा उर्फ कनुआ के बाल अपराध होने के कारण उनके विरुद्ध बाल न्यायालय में प्रथक से कार्यवाही की गयी।

3. उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। आरोपीगण को आरोपित आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।

4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 24/08/12 को दिन के लगभग 11 बजे सुपरसेक फ़ैक्ट्री मालनपुर में चोरी करने के आशय से प्रवेश कर गृह भेदन कारित किया?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से साबू खान अ.सा. 1, एस. आई. राकेश प्रसाद अ.सा. 2 एवं फरियादी हाकिम सिंह अ.सा. 3 को परीक्षित कराया गया है, जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी हाकिम सिंह अ.सा. 3 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। उसे घटना की जानकारी नहीं है। उसे पता चला था कि फ़ैक्ट्री में कुछ लोग दीवाल कूदकर आ गये हैं, जिसकी रिपोर्ट उसने मालिक के कहने पर थाना मालनपुर में की थी जो प्रदर्श पी 6 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसे साबू ने मोबाइल फोन पर यह बताया था कि घटना दिनांक को आरोपी तोफीक, छोटा वीरेन्द्र और विक्की फ़ैक्ट्री की दीवाल कूदकर फ़ैक्ट्री में चोरी कारित करने की नियत से घुस आये थे तथा जब उसने उन्हें रोका था तो वह दीवाल कूदकर भाग गये थे।

8. साक्षी साबू खान अ.सा. 2 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी ने भी अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना दिनांक को दिन के करीबन 11 बजे आरोपी तोफीक, विक्की,

वीरेन्द्र फैक्ट्री में दीवाल कूदकर चोरी कारित करने के आशय से घुस आये थे एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि जब उसने उन्हें रोका था तो वह दीवाल कूदकर भाग गये थे। उक्त साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने घटना की सूचना सिव्योरिटी इंचार्ज चौहान साहब और सुपरवाइजर हाकिम सिंह को दी थी।

9. एस.आई.राकेश प्रसाद अ.सा. 2 द्वारा विवेचना को प्रमाणित किया गया है।

10. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

11. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी हाकिम सिंह अ.सा. 3 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है तथा उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि उसे पता चला था कि फैक्ट्री में कुछ लोग दीवाल कूदकर आ गये थे तो उसने मालिक के कहने पर थाना मालनपुर में रिपोर्ट कर दी थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी छोटा, तोफीक, वीरेन्द्र और विक्की दीवाल कूदकर फैक्ट्री के अंदर चोरी करने की नियत से घुस आये थे। इस प्रकार फरियादी हाकिम सिंह अ.सा. 3 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदर्श पी 6 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार फरियादी हाकिम सिंह को साबू ने आरोपीगण के फैक्ट्री में घुसने की सूचना दी थी, परंतु यह बात फरियादी हाकिम सिंह अ.सा. 3 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में नहीं बतायी गयी है। उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि साबू ने उसे आरोपीगण के फैक्ट्री में चोरी करने के आशय से घुसने की सूचना दी थी। इस प्रकार फरियादी हाकिम सिंह अ.सा. 3 के कथन प्रदर्श पी 6 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरोधाभासी रहे हैं। फरियादी हाकिम सिंह अ.सा. 3 द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

12. साक्षी साबू खान अ.सा. 1 द्वारा भी न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं व्यक्त किया गया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी द्वारा भी अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया गया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण फैक्ट्री में चोरी करने के आशय से घुस आये थे एवं उसने आरोपीगण को रोका था तो वह दीवाल कूदकर भाग गये थे। इस प्रकार साबू खान अ.सा. 1 जो कि अभियोजन कहानी के अनुसार प्रकरण का महत्वपूर्ण साक्षी था ने भी न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपीगण की पहचान नहीं की है तथा आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

13. एस.आई. राकेश प्रसाद अ.सा. 2 ने विवेचना को प्रमाणित किया है। उक्त साक्षी प्रकरण का औपचारिक साक्षी है। प्रकरण में आयी साक्ष्य को देखते हुए उक्त साक्षी की साक्ष्य को विश्लेषण किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

14. समग्र अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी हाकिम सिंह अ.सा. 3 एवं

साक्षी साबू अ.सा. 1 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। शेष साक्षी एस.आई. राकेश प्रसाद अ.सा. 2 प्रकरण का औपचारिक साक्षी है। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपी तोफीक उर्फ टिकू, विक्की उर्फ शाहिद खान ने घटना दिनांक को सुपरसेक फैक्ट्री मालनपुर में चोरी कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृह भेदन कारित किया। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

15. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपीगण के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करे एवं यदि अभियोजन आरोपीगण के विरुद्ध मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपीगण की दोषमुक्ति उचित है।

16. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 24/08/12 को दिन के लगभग 11 बजे सुपरसेक फैक्ट्री मालनपुर में चोरी करने के आशय से प्रवेश कर गृह भेदन कारित किया। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी तोफीक उर्फ टिकू एवं विक्की उर्फ शाहिद खान को भा.दं.सं. की धारा 454 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

17. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

18. प्रकरण में आरोपी वीरेन्द्र उर्फ वीरा फरार है। अतः प्रकरण का अभिलेख एवं जप्तशुदा सम्पत्ति सुरक्षित रखी जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 10/03/17

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित
कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।
सही / –

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)